संख्या:-741/एक-10-2026

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,

उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक: 29-06-2026

विषयः यू0एन0डी0पी0 के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम को राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से वितपोषित किये जाने हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-10196/रा0आ0का0/2026-27, दिनांक 19.06.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के सम्बन्ध में यू0एन0डी0पी0 को देय द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु रू0 4,00,00,000/- की धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 28.03.2025 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22-05-2025 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत यू0एन0डी0पी0 के प्रश्नगत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22.05.2025 में अनुमोदित/स्वीकृत धनराशि रू0 19.99 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025- 26 की समाप्ति पर समर्पित की गयी धनराशि रू0 15.99 करोड़ में से राहत आयुक्त कार्यालय एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू०एन०डी०पी०) के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में उल्लिखित पेमेंट शेड्यूल के अनुसार यू०एन०डी०पी० को द्वितीय किश्त के रूप में भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से **रू0 4,00,00,000/- (रूपये चार करोड़ मात्र)** की धनराशि निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

(1) प्रश्नगत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के सम्बन्ध में समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षरित किये जाने के दौरान समस्त आवश्यक बिन्दुओं (प्रशासकीय एवं वितीय) को समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) में समाहित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम परियोजना के अन्तर्गत यू0एन0डी0पी0 की तकनीकी सहायता लिए जाने हेतु राहत आयुक्त के प्रस्तावानुसार सेवाओं एवं अन्य कार्यक्रमों हेतु वितीय नियमों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए परियोजना का सञ्चालन किया जायेगा।

(3) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA दिनांक 14.01.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया

जायेगा। राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(4) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वितीय नियमों के अनुसार तथा वितीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(5) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(6) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2027 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2027 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वितीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलव्ध कराया जायेगा।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(9) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रू0 4,00,00,000/- (रूपये चार करोड़ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250001010500-24 वृहद निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटीगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally Signed by
ARUN PRAKASH
Date: 29-06-2026
13:19:10

(अरूण प्रकाश)
विशेष सचिव।

<u>संख्या:-741(1)/एक-10-2026, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।

3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।

4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूण प्रकाश)

विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिमांक-29/06/2026

प्रेषण संख्या:- 741
आवंटन आदेश संख्या:- 001-741
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	40000000 199884385	40000000 199884385
	योग	वर्तमान प्रगामी	40000000 199884385	40000000 199884385

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया उनीस करोड़ अठानवे लाख चौरासी हजार तीन सौ पंचासी

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by ARVIND KUMAR SINGH
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh
Date:2026.06.29 06:26:28 +05:30